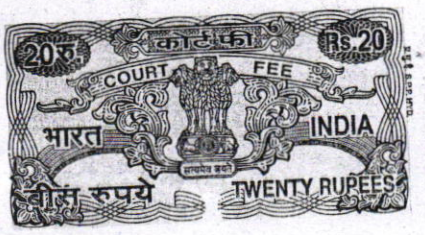

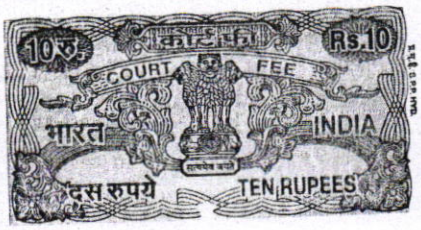

(172)

निगरानी प्रकरण क्रमांक– /2018

माननीय राजस्व मंडल म.प्र.ग्वालियर केम्प इन्दौर

निगरानी–3236/2018/बडवानी/भू.रा

1. रायलीबाई पिता भुरज्या
2. बी.के.वंदनाबाई
3. बी.के.रेणुबाई

सभी निवासी– ओम शांति केन्द्र ओझर

तह. राजपुर जिला बडवानी (म.प्र.) ...प्रार्थीगण

विरूद्ध

श्रीराम पिता कोलु गवली

निवासी– ग्राम ओझर तह. राजपुर जिला बडवानी (म.प्र.)

...प्रतिप्रार्थी

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता

इसमे प्रार्थीगण श्रीमान तहसीलदार राजपुर जिला बडवानी द्वारा प्र.क्र. 22/अ–12/17–18 मे पारित आदेश दिनांक 20/03/2018 से असंतुष्ट होकर उक्त निगरानी निम्नलिखित आधारो पर प्रस्तुत करते है :–

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3236/2018/बडवानी/भूरा

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31.10.18	आवेदक अधिवक्ता द्वारा पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया । 2- आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी तहसीलदार राजपुर जिला बडवानी के प्रकरण क्रमांक 22/अ-12/17-18 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 20-3-2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 3- आवेदकपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि संहिता की धारा 129 के अनुसार हितबद्ध पक्षकारों को सूचना दिया जाना आवश्यक है, परन्तु जिस दिन सीमांकन हुआ उसकी सूचना आवेदकगण को नहीं दी गई है इसलिये तहसील न्यायालय द्वारा किया गया सीमांकन एकपक्षीय होकर अवैध है । यह भी कहा गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन में पुराने चांदे ढुंढकर नपती करना चाहिये थी, यदि सीमांकन के समय पुराने चांदे नहीं मिले तो तीन खेतों की भूमियों के सीमांकन को सीमाचिन्ह नियुक्त कर नपती करना चाहिये, परन्तु राजस्व निरीक्षक द्वारा उक्त नियम का पालन कर भूमि के मिलान बिंदुओं को आधार मानकर नपती करने में कानूनी त्रुटि की है । राजस्व निरीक्षक द्वारा अपने प्रतिवेदन व पंचनामें में किन किन सर्वे नम्बरों के कौन कौन से पडोसी कृषकों को सूचना दी इसका भी उल्लेख नहीं है । अतः उनके द्वारा निगरानी स्वीकार की जाकर तहसील न्यायालय द्वारा किया गया सीमांकन निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया । 4- अनावेदक के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही की गई है । 5- उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया है । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा अपने प्रतिवेदन व पंचनामें में किन किन सर्वे नम्बरों के कौन कौन से पड़ोसी कृषकों को सूचना दी इसका भी उल्लेख नहीं है, केवल सीमांकन के आवेदक को नोटिस दिया गया । तहसील न्यायालय द्वारा स्थायी सीमाचिन्ह से सीमांकन नहीं किया गया है । अतः इस प्रकरण में यह विधिक एवं न्यायिक आवश्यकता है कि प्रकरण तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे पुनः विधिवत् हितबद्ध पक्षकारों को सूचना देकर स्थायी सीमाचिन्हों से सीमांकन की कार्यवाही करें । 6- उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार राजपुर जिला बडवानी द्वारा पारित सीमांकन आदेश दिनांक 20-3-2018 निरस्त किया जाता है । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण हेतु तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया जाता है । अध्यक्ष	